A. C. M. आमेर

# फर्द अहकाम

लटकू बनाम गजेन्द्र

नाम न्यायालय

केस संख्या 15/24

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 18/11/2024 | पत्रावली आज दिनांक 18/11/2024 [illegible] डिस्ट्रिक्ट एड. बार [illegible] जवाब [illegible] कन्डोलेन्स की जाये [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 19/11/24 [illegible] |
| | 19/11/2024 | पत्रावली प्रस्तुत। व० क्र. 34। अपीलार्थीगण ने आज भी आज भी जवाब/बहस पेश नहीं की अतः जवाब/बहस का अवसर बंद किया जाता है। पार्टी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता पार्टी ने अभिवचन किया कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है फिर भी अपीलार्थीगण जबरन विशिष्ट भू-भाग का बेचान एवं मौका परिवर्तन करने पर उतारू हैं अतः अपीलार्थीगण को पाबंद किया जावे। प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है। प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन पार्टी के पक्ष में न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में निर्माण एवं बेचान की संभावना के मद्देनजर व वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए उपयुक्त पक्ष के [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] किया जाता है कि वे वादग्रस्त [illegible] नम्बर पर मौके की [illegible] तक पट्टा [illegible] पर लागू नहीं होगे। पत्रावली [illegible] कैसच शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। |

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2026.01.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested